राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी– मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 07/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/8
दायर दिनांक– 09.02.2023
निर्णय दिनांक– 19.09.2024

1. चुका देवी पत्नि जगदीश जाति बावरी नि0 हाल चितावा तह0 कुचामन जिला नागौर
2. आरती पुत्री जगदीश जाति बावरी नि0 हाल चितावा तह0 कुचामन जिला नागौर
3. बीरबल पुत्र जगदीश जाति बावरी नि0 हाल चितावा तह0 कुचामन जिला नागौर

....वादीगण

बनाम

1. चुका देवी पत्नि सुवा
2. खेतु पुत्र सुवा
3. केसर पुत्र सुवा
4. शान्ति देवी पत्नि मिश्री
5. नाबा0 डाली पुत्री मिश्री संरक्षक सरपरस्त माता शांति देवी
   सर्वजाति बावरी सर्वनिवासीगण ग्राम जाजोता तहसील रूपनगढ
6. गीता पत्नि रूपा जाति बावरी नि0 हाल ग्राम पनेर तह0 रूपनगढ़
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
8. उपपंजीयक रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़
9. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रूपनगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक
10. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरसुरा जरिये शाखा प्रबंधक
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रूपनगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक

....प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री गणेश प्रजापति अधिवक्ता वादीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम काठोदा पटवार हल्का भदूण तहसील रूपनगढ़ स्थित ख0न0 454/2 रकबा 4.6032 है0 अवस्थित है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा निहित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 राजस्व रिकार्ड अनुसार ही वर्णित आराजी में काबिज काश्त है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य मौके पर मय नींव, सींव अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन नहीं हो रखा है। इस कारण आये दिन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य नींव, सींव को लेकर मन–मुटाव होता रहता है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को आपसी सहमति बंटवारा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने इनकार कर दिया। इसलिए उक्त भूमि का मय नींव, सींव अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन किये जाने अलग [illegible] किये जाने हेतु वाद पेश किया गया है। वकील वादीगण की ओर से निवेदन है कि वादग्रस्त भू[illegible] नींव, सींव अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन किये जाकर [illegible] किये जाने हेतु आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.09.25 12:46:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये [illegible] की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या [illegible] 6 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 व 6 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया किन्तु स्वयं उपस्थित होकर रेकार्ड एवं मौके अनुसार बंटवारा किये जाने बाबत् अनापत्ति जाहिर की।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने प्रकरण में जवाब पेश किया। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होनां जाहिर किया। प्रकरण में वकील वादीगण व पैराकार सरकार की बहरा सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी की उक्त भूमि में खातेदारान के मध्य नींव, रींव को लेकर आपसी मन–मुटाव बना रहता है इसलिए वादग्रस्त भूमि का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार अलग खाता, अलग खसरा कायम किया जावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

वादीगण की बहस व प्रतिवादी संख्या 4 व 6 द्वारा वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने की सहमति प्रदान किये जाने के तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिकी जारी करने के आदेश दिनांक 09.02.2024 को न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार रूपनगढ़ ने प्रकरण में प्राथमिक डिकी की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण को सुना गया। वकील वादी ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिकी किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 6 के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में वाद भूमि निम्नानुसार होगी :–

क0 सं0	नाम खातेदार (ग्राम: काठोदा)	ख0न0	रकबा (है0)	किस्म
1	चुका देवी पत्नि जगदीश हि0 1/3, बीरबल पुत्र जगदीश हि0 1/3, .नाबा0 आरती पुत्री जगदीश हि0 1/3 संरक्षक माता सर्वजाति बावरी सां0 जाजोता खातेदार राहिन चुका देवी व बीरबल का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़	454/2/1	1.1508	बारानी 2– 0.5754 बंजर .2– 0.5754
2	केशर पुत्र सुवा हि0 1/9 , खेतु पुत्र सुवा हि0 1/9, चुका देवी पत्नि सुवा हि0 1/9 सर्वजाति बावरी सा0 जाजोता खातेदार राहिन बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रूपनगढ़, गीता पत्नि रूपा हि0 1/3 जाति बावरी सा0 जाजोता राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा, शान्ति देवी पत्नि मिश्री हि0 6/21, नाबा0 डाली पुत्री मिश्री संरक्षक माता शांति हि0 1/21 जाति बावरी सा0 जाजोता राहिन शान्ति देवी का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़	454/2/2	3.4524	बंजर– 2 1.7302 बारानी– 2 1.7222

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिकी का भाग होगा। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग–अलग कायमं किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 , उनके परिवारजन , सगे–संबंधी आदि को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के हिस्से में आयी भूमि के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत[illegible] करें। खर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को मेरे द्वारा लिख[illegible]कर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.09.25 12:46:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)